न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :-श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

मि0न0 – 02/2018

अनवान :

1. पूनमचंद } पुत्रान सोहनलाल जाति अग्रवाल निवासी डाबडी
2. श्यामलाल } तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– **प्रार्थीगण**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– **अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र बाबत रिकार्ड दुरूस्त करवाने।

अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956

उपस्थिति : वकील श्री किसनलाल यादव : प्रार्थी

निर्णय **दिनांकः** 14.5.18

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि गांव डाबडी के जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 के खाता सं0 413/480 के खसरा सं0 25/3 की कुल 1.8590 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि है। वाद भूमि में वर्तमान जमाबन्दी में सरबती पत्नी सोहनलाल, विद्या, कमला, गायत्री, मुन्नीदेवी, सन्तोष पुत्रियां 124 हिस्सा भूमि खातेदारी दर्ज है तथा 8 हिस्सा भूमि मनोहर के नाम व 15 हिस्सा भूमि रामेश्वर के नाम दर्ज है।

वाद भूमि पहले प्रार्थीगण के पिता सोहनलाल के नाम 124 हिस्सा खातेदारी दर्ज थी। सोहनलाल की मृत्यु के बाद 12.04.2006 को विरासतन नामान्तरण दर्ज हुआ तो उसने यह भूमि सोहनलाल की पत्नी सरबतीदेवी व दो पुत्र प्रार्थीगण पुनमचंद व श्यामलाल तथा छः पुत्रियों विद्या, कमला, गायत्री, निर्मला, मुन्नीदेवी, सन्तोष के नाम बहिस्सा बराबर विरासतन नामान्तरण दर्ज हो गया तथा उसी अनुसार जमाबन्दी में भी अंकन कर दिया गया, परन्तु सहबन कम्प्युटर की भूल एवं लिपिकिय भूल के कारण वाद भूमि की बाबत प्रार्थीगण का नाम दर्ज होने से सहबन रह गया तथा वाद भूमि प्रार्थीगण का नाम छोडकर के महज सरबती, विद्या, कमला, गायत्री, निर्मला, मुन्नीदेवी, सन्तोष यानि प्रार्थीगण की बहनों व माता के नाम ही दर्ज कर दी गई। प्रार्थीगण भी इनके साथ बराबर के खातेदार काश्तकार है तथा उक्त लिपिकिय भूल पटवारी हल्का एवं तहसीलदार द्वारा नई जमाबन्दी बनाते समय सहबन हो गई है, जो काबिल दुरूस्ती है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार भादरा की ओर से रिपोर्ट प्रस्तुत हुई।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि नामान्तकरण में प्रार्थीगण का नाम दर्ज है किन्तु लिपिकिय भूलवंश जमाबन्दी में अंकन से रह गया। इस प्रकार प्रार्थीगण को नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड दुरूस्त किये जाने हेतु निवेदन किया।

अधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ़

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण ने ग्राम डाबडी के राजस्व रिकार्ड में अपने नाम कृषि भूमि दर्ज करवाकर जमाबन्दी में अंकन करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जो सत्यप्रतिलिपि नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम डाबडी नामान्तरकरण सं0 1159 की पेश की है, उससे स्पष्ट है कि नामान्तरकरण के कॉलम नं0 7 व 9 में पुनमचन्द व श्यामलाल पि0 सोहनलाल का नाम अंकित था किन्तु लिपिकिय भूलवंश जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 74 में अकन से रह गया व शेष पक्षकारान का नाम दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण साबित है।

अत : प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि गांव डाबडी की जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 74 के खाता सं0 413/400 के खसरा सं0 25/3 की 1.859 है0 भूमि में दर्ज 124 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि में प्रार्थीगण पूनमचन्द व श्यामलाल को सरबती पत्नी सोहनलाल, विद्या, कमला, गायत्री, निर्मला, मुन्नीदेवी, सन्तोष पुत्रियान सोहनलाल के साथ बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे। तहसीलदार राजस्व भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.5.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व,
R.A.S
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
भादरा जिला हनुमानगढ